and Delhi Doordarshan Kendra for making suggestions for the broadcast/telecast of programmes.

(b) The Programme Advisory Committees are constituted for a period of two years with the Director of the Station/Kendra as the Chairman. In addition to four ex-officio members, the Committees also, ordinarily, consists of fifteen non-officials members. The Committees are constituted by the Directors General of All India Radio/Doordarshan respectively with the approval of the Government.

विभिन्न एजेंसियों को चलचित्र दिखाने की स्वीकृति

3222. **चौधरी हरि सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में निजी केबल प्रणाली के अन्तर्गत टेलीविजन पर सीधे तथा कैसेटों के उपयोग द्वारा विभिन्न चलचित्र दिखाने की भिन्न-भिन्न कितनी एजेन्सियों को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या उपर्युक्त एजेन्सियों द्वारा चयन किये गये चलचित्रों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उक्त एजेन्सियां टेलीविजन पर अश्लील चलचित्र प्रदर्शित कर रही हैं; यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके तहत बनाये गये नियमों, (जिसका दूरसंचार विभाग एक नोडल मंत्रालय है), के अनुसार निजी परिसरों में किसी केबल टी.वी. के नेटवर्क लगाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत किसी फिल्म अथवा वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार है।

"चाणक्य" धारावाहिक में भगवा झंडे का फहराया जाना

3223. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले माह "चाणक्य" धारावाहिक में भगवा झंडा लहराता दिखाया गया था तथा उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई झंडों को भी दिखाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सेंसर बोर्ड द्वारा इस धारावाहिक की पुनः जांच कराये जाने और इसका प्रसारण उन अंशों को निकाले जाने के बाद कराने का विचार रखती है जिनसे साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार इस धारावाहिक का जांच कार्य समाप्त होने तक इसके प्रसारण को रोकने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) "चाणक्य" धारावाहिक में तक्षशिला गुरूकुल के छात्रों द्वारा भगवा झंडे जमीन में गाड़े गए थे। इन झंडों को किसी राजनीतिक दल के झंडों के रूप में दिखाना अभिप्रेत नहीं था बल्कि ऐसा करना कहानी और इसकी प्रमाणिकता का अनिवार्य हिस्सा था।

(ख) जी नहीं। प्रायोजित धारावाहिकों को सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति जिसमें प्रतिष्ठित गैर-सरकारी सदस्य भी होते है, की स्वीकृति के बाद प्रसारित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनसे दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण संबंधी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन न हो।

(ग) जी नहीं।

भारतीय प्रसारण परिषद्

3224. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की विभागीय समिति ने एक भारतीय

प्रसारण परिषद् गठित किये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन सुझावों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सार्वजनिक निगमों को प्रसारण के अधिकार देने की स्कीम को कार्यरूप देने के संबद्ध उपलब्ध विकल्पों पर सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त कानून के जरिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है जिसके सदस्य ईमानदार और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हों । इस प्राधिकरण को भारतीय प्रसारण परिषद् कहा जा सकता है । इस परिषद् को अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस जारी करने, कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने, गुणवत्ता निर्धारण और शिकायतो का समाधान करने का दायित्व सौंपा जा सकता है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रसारण परिषद् से संबंधित प्रावधानों को प्रसार-भारती अधिनियम से निकालकर नये कानून का अंग बना दिया जाये ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3225. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में नागरिकों और वहां के कर्मचारियों ने अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई छानबीन कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक को कार्यप्रणाली के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उनकी जांच की की गयी है । केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी रत्नागिरि का जनहित में, प्रशासनिक आधार पर, पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है ।

Appointment of retiring persons in Information & Broadcasting Ministry as consultants

3226. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ministry of Information & Broadcasting have appointed retiring Government servants as consultants in the Cadres of Section Officer and CSSS Grade 'B';

(b) If so, the number of such Consultants and the special job for which they have been re-employed;

(c) whether it is also a fact that their reappointments have closed the doors of promotion for other persons in the respective cadres who are retiring in the next six months to one year; and

(d) if so, what steps Government propose to take to save the retiring persons for recurring loss in their retiring pension?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Yes, Sir, two officers of CSS and CSSS were apopinted on